न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–51/2022

जीसीएमएस नं. :–2022/118

वीरासिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 4 एल.एस.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––– **प्रार्थी**

बनाम्

1. गुरदीपकौर पत्नी सोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 6 के–ए ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मंगासिंह पुत्र सोहन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 6 के–ए ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. बलविन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 6 के–ए ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. कुलवीरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 6 के–ए ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. महेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 6 के–ए ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. बहादरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 6 के–ए ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. राजविन्द्र उर्फ राज पत्नी श्रवण सिंह।
8. दीपु उर्फ दीपक सिंह पुत्र श्रवण सिंह।
9. अमनदीप कौर पुत्री श्रवण सिंह
   अकवाम कम्बोसिख निवासी चक 6 के–ए ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
10. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित–

1. श्री चरणजीतसिंह चन्दी एडवोकेट वादी की ओर से
2. **श्री हंसराज डाल एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 ता 9 की ओर से**

दिनांक :– 27/02/26

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस [illegible] पुत्र भगत सिंह जाति कम्बोसिख के नाम [illegible] वाके चक 6 के–[illegible] तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–9 प.नं.–257/40 का कि.नं.–1 ता 4 प्रत्येक 0.253 अक, 5/1 का 0.228 अक, 5/1 का 0.025 खाला, 6/1 का 0.228 अक, 6/1 [illegible] 0.025 खाला, 7 का 0.253 अक, 8 ता 14 प्रत्येक का 0.253 कमाण्ड, 15/1 का 0.228, 15/1 का 0.025 खाला, 16/1 का 0228, 16/1 का 0.025 खाला, 17 ता 19, 21/1 का 0 .228, 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228, 24/0.228, 25/1 का 0.202

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested

कमाण्ड, 25/3 का 0.026 खाला कुल का तदादी 6.200 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्राथना पत्र है। प्राथी के पिता सोहनसिहं पुत्र भगतसिंह 10.01.2022 को देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त उपरांत उसके कुल 8 वारिस प्राथी एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 7 एवं श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह थे जिसमें श्रवणसिंह पुत्र सोहन सिंह का भी देहान्त हो चुका है जिसके अप्रार्थी सं.–7 ता 9 विधिक एवं जायज वारिस है जिन्हे बतौर अप्रार्थी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 9 मृतक खातेदार सोहनसिहं के प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान हैं। प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में मूल खातेदार सोहन सिंह के नाम से दर्ज है स्व. सोहन सिहं के देहान्त उपरान्त उसके नाम की उक्त कृषि भूमि उसके कुल 8 वारिसो को बहिस्सा बराबर विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त हुई है जिसमें भी प्रार्थी का अपने पिता मृतक सोहन सिंह के अधिकार तहत 1/8 हिस्सा बनता है एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 6 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा व अप्रार्थी सं.– 7 ता 9 का अपने पति/पिता श्रवणसिंह के अधिकार के तहत 1/8 हिस्सा बनता है जो स्व. सोहन सिंह के देहान्त उपरांत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 9 के सयुक्तं अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में विरास्तन इन्तकाल ना होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 9 के मध्य आपस मे पारस्परिक विवाद हो गया है चूकिं उक्त विवादित कृषि भूमि का अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में विरास्तन इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है और पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन नहीं हुआ है ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हई है कि उक्त विवादित भूमि मे किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। इसलिऐ पक्षकारान के मध्य हर समय उक्त भूमि की काश्त सिंचाई आदि को लेकर व अपने अपने हिस्सा अनुसार राजस्व कर एवं सिंचाई कर आदि को लेकर हर समय विवाद रहता है। जिस सम्बधं में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार कहा कि सभी जने ईक्टठे होकर तहसील मे चल कर उक्त भूमि जो मूल खातेदार सोहन सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का विरास्तन इन्तकाल प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 8 के नाम दर्ज करवा लेवे व उसका भी खाता विभाजन भूमि की किस्म अनुसार कर लेवे ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके ओर उसका उपयोग उपभोग कर सके। लेकिन अप्रार्थीगण हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते जिस पर बिल आखिरकार आज से अरसा तीन रोज पर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1 ता 8 से तहसील मे चल कर विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने व समस्त भूमि का भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बटंवारा करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ता 9 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा कुछ अप्रार्थीगण ने स्पष्ट कहा कि वे कोई बटंवारा नही करेगें और ना ही प्राथी [illegible] जमीन [illegible] जमीन ही देगें बल्कि हमारे पास दस्तावेजात है जिनके आधार पर [illegible] उक्त [illegible] जमीन अपने नाम करवाकर विवादित भूमि को अन्य[illegible] बेचान कर [illegible] कर दे और प्रार्थी को उसकें हिस्सा से जबरन बेदखल [illegible] उसके नाम की उक्त कृषि भूमि उसके कुल [illegible] बराबर विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त हई है जिसमें भी प्रार्थी का अपने पिता मृतक सोहनसिंह के अधिकार के तहत 1/8 हिस्सा बनता है एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 6 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा व अप्रार्थी सं.–7 ता 9 का अपने पति/पिता श्रवण सिंह पुत्र सोहन सिंह के अधिकार के तहत 1/8 हिस्सा बनता है जो प्रार्थी को अप्रार्थी सं.–1 ता 6 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थी सं.–7 ता 9 के साथ बहिस्सा बराबर विरास्तन अधिकार व अधिपत्य के तहत प्रात् हुई है जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा पर ही प्रार्थी का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विरास्तन हक अधिकार व अधिपत्य प्रार्थी में निहित हो चुका है। वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का 1/8 हिस्सा हक व हिस्सा निहित है तथा 1/8 हिस्सा पर ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है जो प्रार्थी के पिता की मृत्यू उपरान्त प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। लेकिन अब अप्रार्थी सं.–1 ता 9 प्रार्थी को उसके हिस्सा की भूमि से वंचित करने के उद्देश्य से तथाकथित दस्तावेजात तैयार कर उक्त विवादित भूमि को अपने नाम अंकन करवाकर समस्त भूमि को अन्यत्र रहन बैचान कर खूर्द बुर्द करने व प्रार्थी को उसके हिस्सा व कब्जा से बेदखल करने के प्रयासरत है अगर अप्रार्थीगण अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो गया तो इससे प्रार्थी अपने हक अधिकारों से महरूम हो जाऐगा जिससे प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा ओर जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी। इन परिस्थितियों में प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमि वाके चक 6 के (ए) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–9 प.नं.–257/40 का कि.नं.–1 ता 4 प्रत्येक 0.253 अ.क., 5/1 का 0.228 अक., 5/1 का 0.025 खाला, 6/1 का 0.228 अ.क., 6/1 का 0.025 खाला, 7 का 0.253 अ.क., 8 ता 14 प्रत्येक का 0.253 कमाण्ड, 15/1 का 0.228, 15/1 का 0.025 खाला, 16/1 का 0.228, 16/1 का 0.025 खाला, 17 ता 19, 21/1 का 0.228, 22/1 का 0.228, 23/1 का 0.228, 24/1 का 0.228, 25/1 का 0.202 कमाण्ड, 25/3 का 0.026 खाला कुल तदादी 6.200 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि के किसी भू भाग को किसी भी प्रकार से अन्यत्र हस्तांतरित रहन बैचान करने से तथा प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से बाज वा ममनू रहे कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं.–2 ता 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया गया। चुंकि स्व. सोहन सिंह द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6 व श्रवण सिंह के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत दिनांक 07.09.2009 को निष्पादित कर पंजीकृत करवा दी थी तथा सोहनसिंह के पुत्र श्रवण सिंह का भी दिनांक 10.01.2022 को देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारीसान अप्रार्थीगण सं. 7 ता 9 हैं। उक्त वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है कारण वाद प्रार्थी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थीया के जवाब एवं स्टेट जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पंजीकृत वसीयत को निरस्त करवाने का अधिकार न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण प्रार्थी इस न्यायालय से किसी प्रकार के अनुतोष का विधिक अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त वसीयत में विधिक वारिसान होना बताया है जिस बारे में न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतों से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24/02/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश राव)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested